रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032020-218939
CG-DL-E-27032020-218939

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2020/चैत्र 7, 1942
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2020/CHAITRA 7, 1942

पंजाब नेशनल बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2020

फा. सं. HRDD:POL:OSR (ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनिमय, 1977 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता हैं, यथा: -

1. (1) इन विनियमों को पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये विनियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 के अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:

"अनुसूची

[विनियम 3 (बी), 3 (जी), 3 (एन), देखें]

क्र. सं.	**पद का नाम**	**अनुशासनात्मक प्राधिकारी**	**अपीलीय प्राधिकारी**	**समीक्षा प्राधिकारी**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल–I अथवा मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल- II अथवा मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल- III के अधिकारी	उस स्थान का अंचल प्रबन्धक (जीएम / सीजीएम की श्रेणी में) जहां पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुए है।	कार्यपालक निदेशक 'या' उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में 'या' यदि वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोर्ड की समिति
2.	कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल–I अथवा मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल- II अथवा मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल -III के अधिकारी (जिनका प्रधान कार्यालय/ प्रतिनियुक्ति /विदेशी पोस्टिंग के दौरान हुई कृत कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ हो)	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक- एचआरडीडी,		
3.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल- IV अथवा वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल- V के अधिकारी	महाप्रबंधक अथवा मुख्य महाप्रबंधक – एचआरडीडी	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में 'या' यदि वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोर्ड की समिति
4.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में स्केल- VI के अधिकारी	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में 'या' यदि वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोर्ड की समिति	बोर्ड
5.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में स्केल- VII अथवा शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में स्केल-VIII के अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	बोर्ड की समिति	बोर्ड

नोट: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / कार्यपालक निदेशक एक विशिष्ट या सामान्य आदेश के माध्यम से महाप्रबंधक/ मुख्य महाप्रबंधक को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निर्दिष्ट करेंगे।" ।

राजेश वर्मा, महाप्रबंधक-एचआरडीडी

[विज्ञापन–III/4/असा./518/19]

नोट: संशोधित विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे, यथा:-

क्र.सं.	संख्या	अधिसूचना की तिथि	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNB/DAC/P/2/2002	14.12.2002	04.01.2003
2.	PNB/HRMD/DAC/P/2/2016	30.11.2016	03.12.2016

PUNJAB NATIONAL BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2020

F. No. HRDD/POL/OSR/(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977, namely:–

1. (1) These Regulations may be called the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2020.

 (2) They shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977, for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

[*see* regulation 3(b), 3(g), 3(n)]

S. No.	Name of the Post	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officers in Junior Management Grade Scale-I or Middle Management Grade Scale -II or Middle Management Grade Scale - III	Zonal Manager (In the rank of General Manager or Chief General Manager) of place where cause of action arisen	Executive Director or in his absence Managing Director and Chief Executive Officer	Managing Director and Chief Executive Officer or in his absence or in case he is functioning as Appellate Authority, the Committee of the Board
2.	Officers in Junior Management Grade Scale–I or Middle Management Grade Scale -II or Middle Management Grade Scale - III (where cause of action arisen at Head Office or place of deputation or overseas posting)	General Manager or Chief General Manager- HRDD		

3.	Officers in Senior Management Grade Scale - IV or Senior Management Grade scale - V	General Manager or Chief General Manager- HRDD	Executive Director or in his absence Managing Director and Chief Executive Officer	Managing Director and Chief Executive Officer or in his absence or in case he is functioning as Appellate Authority, the Committee of the Board
4.	Officers in Top Executive Grade Scale - VI	Executive Director or in his absence Managing Director and Chief Executive Officer	Managing Director and Chief Executive Officer or in his absence or in case he is functioning as Disciplinary Authority, the Committee of the Board	Board
5.	Officers in Top Executive Grade Scale-VII or Top Executive Grade Scale -VIII	Managing Director and Chief Executive Officer or in his absence Executive Director	Committee of the Board	Board

Note: The Managing Director and Chief Executive Officer or the Executive Director shall, by way of a specific or general order, specify the General Manager or Chief General Manager, who shall act as the Disciplinary Authority.".

RAJESH VERMA, General Manager –HRDD

[ADVT.-III/4/Exty./518/19]

Note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* following notifications, namely:—

Serial No.	**Number**	**Date of Notification**	**Date when published in the Gazette of India**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	PNB/DAC/P/2/2002	14.12.2002	4.01.2003
2.	PNB/HRMD/DAC/P/2/2016	30.11.2016	3.12.2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA